

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम नागौर
कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव , शिक्षा (गुप-2) विभाग, राज. सरकार के पत्रांक प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक 08.05.2016 व दिनांक 09.05.2016 तथा दिनांक 24.05.2017 एवं श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 की अनुपालना में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों का माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में मर्ज होने के पश्चात् माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पंचायत राज विभा/शिक्षा सेटअप के कार्मिकों मेंसे राजस्थान शिक्षा नियम अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम -6डी के अन्तर्गत चयनित/राजस्थान शिक्षा नियम अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के तहत नियुक्त निम्नांकित अध्यापक लेवल-1/लेवल-2 विभिन्न विषय का उनके कार्यरत समन्वित विद्यालय में एव उनके नाम के सम्मुख अंकित पद व विषय के रिक्त पद पर यथावत समायोजन किया जाता है।इसका माह जून-2017 का वेतन माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन से ही आहरित किया जावेगा।।

संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण की सुचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करते हुए इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करावे।

क्र.सं.	ब्लॉक	जिस विद्यालय में मर्ज हुआ है उसका नाम	नाम कार्मिक	जन्म तिथि	कार्मिक का मूल पद	मूल विषय	रिक्त पद जिसके विरुद्ध यथावत समायोजन किया गया है	विषय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नांवा	राउमावि बरजन	तुलछीराम	01/01/1964	लेवल-1	—	लेवल-1	—
2	नांवा	राउमावि बरजन	रामनारायण रेगर	08/03/1969	लेवल-1	—	लेवल-1	—
3	मुण्डवा	राबाउमावि कुचेरा	सुनीता रांकावत	07/01/1973	लेवल-1	—	लेवल-1	—
4	मुण्डवा	राउमावि कुचेरा	दारासिंह	05/03/1965	लेवल-2	हिन्दी	लेवल-2	हिन्दी

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालय अध्यक्ष उक्त कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं की पालना अनिवार्यतः सुनिश्चित करावे।

समय से स्वच्छिक अनुपस्थित होने/ निलम्बित होने /न्यायालय स्थगन से कार्यरत होने की स्थिति में कार्यमुक्त /कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सुचना अविलम्ब इस कार्यालय को देवे।

2 पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है,उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।तथा इसकी सुचना इस कार्यालय को देवे।


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर

दिनांक :-01.06.2017

क्रमांक:- शिविना/माप्र/ना/संस्था-1/समा./2017/459

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा (गुप-2) विभाग राज.सरकार जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रा.शिक्षा शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर।
4. श्रीमान् उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा मण्डल अजमेर
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय/प्रारम्भिक शिक्षा नागौर।
6. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नागौर।
7. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक
8. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम नागौर
कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राज. सरकार के पत्रांक प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक 08.05.2016 व दिनांक 09.05.2016 तथा दिनांक 24.05.2017 एवं श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 की अनुपालना में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों का माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में मर्ज होने के पश्चात् माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पंचायत राज विभा/शिक्षा सेटअप के कार्मिकों में से राजस्थान शिक्षा नियम अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम -6डी के अन्तर्गत चयनित/राजस्थान शिक्षा नियम अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के तहत नियुक्त निम्नांकित अध्यापक लेवल-1/लेवल-2 विभिन्न विषय का उनके कार्यरत समन्वित विद्यालय में एव उनके नाम के सम्मुख अंकित पद व विषय के रिक्त पद पर यथावत समायोजन किया जाता है। इनका माह जून-2017 का वेतन माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन से ही आहरित किया जावेगा।।

संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण की सुचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करते हुए इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करावे।

क्र.सं.	ब्लॉक	जिस विद्यालय में मर्ज हुआ है उसका नाम	नाम कार्मिक	जन्म तिथि	कार्मिक का मूल पद	मूल विषय	रिक्त पद जिसके विरुद्ध यथावत समायोजन किया गया है	विषय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुचामन	राउमावि शिव	भगवान सिंह राठौड़	01.07.1964	लेवल-2	सामान्य	लेवल-1	-
2	खिवसर	राउमावि मुण्डेल	प्रदीप कुमार	22/01/1969	लेवल-2	सा.वि.	लेवल-2	सा.वि.

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालय अध्यक्ष उक्त कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं की पालना अनिवार्यतः सुनिश्चित करावे।

समय से स्वच्छिक अनुपस्थित होने/ निलम्बित होने /न्यायालय स्थगन से कार्यरत होने की स्थिति में कार्यमुक्त /कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सुचना अविलम्ब इस कार्यालय को देवे।

2 पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है,उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। तथा इसकी सुचना इस कार्यालय को देवे।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर

दिनांक :-03.06.2017

क्रमांक:- शिविरा/माप्र/ना/संस्था-1/समा./2017/469

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा (गुप-2) विभाग राज.सरकार जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रा.शिक्षा शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर।
4. श्रीमान् उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा मण्डल अजमेर
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय/प्रारम्भिक शिक्षा नागौर।
6. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नागौर।
7. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक
8. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम नागौर


कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 17(2)शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक 08.05.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 24.05.2017 एवं श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 के क्रम में निम्नांकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापको का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत अध्यापक लेवल-1 पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श केम्प दिनांक 04.06.2017 में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में किया जाता है।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें-

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों (यथा: विषय, लेवल आदि) के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवे।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
3. पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
सलग्न:- उपरोक्तानुसार पदस्थापन सुची।


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर
दिनांक: 04.06.2017

क्रमांक : जिशिअ/माप्र/ना/संस्था-1/फा.-तृ.श्रे.अ. समायोजन/2017/472

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर
3. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
4. उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर
5. जिला शिक्षा अधिकारी द्वितीय/रमसा नागौर
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, नागौर/एस.एस.ए./समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, नागौर
7. संबंधि संस्थाप्रधान/कार्मिक
8. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रथम नागौर

क्रमांक : जिशिअ/माप्र/ना/संस्था-1/फा.-त.श्रे.अ. समायोजन/2017/472

दिनांक: 04.06.2017

सूची - लेवल-1 एवं लेवल-2 सामान्य

क्र. सं.	नाम कार्मिक (श्री/सुश्री/श्रीमती)	विद्यालय का नाम	ब्लॉक	पुरुष/महिला	पद व लेवल	विषय	समायोजित विद्यालय का नाम	ब्लॉक	वि.वि.
1	मुन्नी देवी	राउमावि पीलवा/राप्रावि गलबडा की ढाणी	parbatsar	महिला	लेवल-1	-	राउमावि ढाणीपुरा	Riyan	
2	मधु कंवर	राबाउमावि कुचामन सिटी/राबाउप्रावि नं.1	kuchaman	महिला	लेवल-1	-	राबामावि जूसरी	Makrana	
3	श्रीमति कमला देवी	राउमावि चावण्डिया/राउप्रावि बालिका चावण्डिया	makrana	महिला	लेवल-1	-	राउमावि बुडसू	Makrana	
4	मोहनी देवी	राबाउमावि कुचामन सिटी/राबाउप्रावि नं.1	kuchaman	महिला	लेवल-1	-	राउमावि कुकनवाली	Kuchaman	
5	मेनका शाह	राउमावि देवली/राबाउप्रावि देवली	nawa	महिला	लेवल-1	-	राउमावि पांचोता	Nawa	
6	श्यामा देवी	राउमावि आन्तरोली कलां/राप्रावि जालसू स्टेशन	degana	महिला	लेवल-1	-	राउमावि सुखबासनी	Degana	
7	किरण सामरिया	राउमावि देवली/राबाउप्रावि देवली	nawa	महिला	लेवल-1	-	राउमावि घाटवा	Kuchaman	
8	सविता सोमाणी	रामावि किनसरिया/राप्रावि गोदारो की ढाणी	parbatsar	महिला	लेवल-1	-	राउमावि रूणिजा	Parbatsar	
9	उर्मिला शर्मा	रामावि गोविन्दी/राउप्रावि रूलानियो की ढाणी	nawa	महिला	लेवल-1	-	राउमावि जाबदीनगर	Nawa	
10	सत्यदेव चारण	राउमावि चावण्डिया/राप्रावि चावण्डिया	riyan	पुरुष	लेवल-2	सामान्य	रामावि नं0 1 मेड़तासिटी	Merta	
11	रेखाराम जयपाल	राउमावि रुण/राबाउप्रावि रुण	mundwa	पुरुष	लेवल-2	सामान्य	रामावि नं0 1 मेड़तासिटी	Merta	
12	नरेन्द्र कुमार	राउमावि चुन्दिया/राउप्रावि चुन्दिया	riyan	पुरुष	लेवल-2	सामान्य	राबाउमावि मेड़तासिटी	Merta	
13	कमल कुमार	राउमावि दधवाडा/राशिकर्मीप्रावि सारणो की ढाणी	merta	पुरुष	लेवल-2	सामान्य	रामावि गागुड़ा	Merta	
14	चैनप्रकाश पंवार	राउमावि गोठड़ा/राप्रावि चांगलो की ढाणी	mundwa	पुरुष	लेवल-1	-	राबाउमावि रोल	Mundwa	
15	जितेन्द्र मेघवाल	राउमावि खाखडकी/राप्रावि खाखडकी नं.1	merta	पुरुष	लेवल-1	-	रामावि आकेली ए	Merta	
16	महावीर कुमार सैल	राउमावि राबडियाद/राप्रावि रामसागर नाडा	parbatsar	पुरुष	लेवल-1	-	रामावि मुनपुरा	Kuchaman	
17	कमलकिशोर	राउमावि झालरा/राप्रावि देवली की ढाणी	parbatsar	पुरुष	लेवल-1	-	राउमावि बागोट	Parbatsar	


 जिला शिक्षा अधिकारी
 माध्यमिक प्रथम नागौर


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम नागौर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 17(2)शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक 08.05.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 24.05.2017 एवं श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 के क्रम में निम्नांकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापको का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत अध्यापक लेवल-2 हिन्दी पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श केम्प दिनांक 04.06.2017 में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में किया जाता है। संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें-


1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों (यथा: विषय, लेवल आदि) के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवे।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
3. पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
सलग्न:- उपरोक्तानुसार पदस्थापन सुची।


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर
दिनांक: 04.06.2017

क्रमांक : जिशिअ/माप्र/ना/संस्था-1/फा.-तृ.श्रे.अ. समायोजन/2017/473

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर
3. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
4. उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर
5. जिला शिक्षा अधिकारी द्वितीय/रमसा नागौर
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, नागौर/एस.एस.ए./समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, नागौर
7. संबंधि संस्थाप्रधान/कार्मिक
8. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रथम नागौर

क्रमांक : जिशिअ/माप्र/ना/संस्था-1/फा.-तृ.श्रे.अ. समायोजन/2017/473

दिनांक: 04.06.2017

सूची - लेवल-2 हिन्दी

क्र. सं.	नाम कार्मिक (श्री/सुश्री/श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापित विद्यालय का नाम	ब्लॉक	पुरुष/ महिला	समायोजित विद्यालय का नाम	ब्लॉक	वि.वि.
1	हंसा कंवर	राउमावि बेडवा/राबाउप्रावि बेडवा	molasar	महिला	राबामावि जिलिया	Kuchaman	
2	संतोष शेखावत	राबाउमावि मूण्डवा/राबाउप्रावि मूण्डवा	mundwa	महिला	राउमावि दुकोसी	Nagaur	
3	संतोष चौधरी	राबाउमावि कुचामन सिटी/राबाउप्रावि नं.1	kuchaman	महिला	रामावि मुनपुरा	Kuchaman	
4	कमला देवी	राबाउमावि मौलासर/राबाउप्रावि मौलासर	molasar	महिला	राउमावि रसीदपुरा	Molasar	
5	श्रीमती राजकंवरी	राउमावि गाजु/राबाउप्रावि गाजू	mundwa	महिला	राउमावि ईनाणा	Mundwa	
6	सरिता	राउमावि पालोट/राबाउप्रावि पालोट	didwana	महिला	राउमावि अडकसर	Kuchaman	
7	सज्जन देवी	राबाउमावि मौलासर/राबाउप्रावि मौलासर	molasar	महिला	राउमावि आकोदा	Molasar	
8	भंवरा राम	राउमावि बडु/राप्रावि पीपलीनाडी	parbatsar	पुरुष	रामावि मोरेड़	Makrana	
9	भंवर लाल	राउमावि बेडवा/राबाउप्रावि बेडवा	molasar	पुरुष	राउमावि बेगसर	Molasar	


 जिला शिक्षा अधिकारी
 माध्यमिक प्रथम नागौर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम नागौर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 17(2)शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक 08.05.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 24.05.2017 एवं श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 के क्रम में निम्नांकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापको का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत अध्यापक लेवल-2 सामाजिक पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श केम्प दिनांक 04.06.2017 में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में किया जाता है।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें-

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों (यथा: विषय, लेवल आदि) के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवे।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
3. पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
सलग्न:- उपरोक्तानुसार पदस्थापन सुची।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर
दिनांक: 04.06.2017

क्रमांक : जिशिअ/माप्र/ना/संस्था-1/फा.-तृ.श्रे.अ. समायोजन/2017/474

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर
3. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
4. उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर
5. जिला शिक्षा अधिकारी द्वितीय/रमसा नागौर
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, नागौर/एस.एस.ए./समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, नागौर
7. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक
8. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रथम नागौर

क्रमांक : जिशिअ/माप्र/ना/संस्था-1/फा.-तृ.श्रे.अ. समायोजन/2017/474

दिनांक: 04.06.2017

सूची - लेवल-2 सा0वि0

क्र.सं.	नाम कार्मिक (श्री/सुश्री/ श्रीमती)	विद्यालय का नाम	ब्लॉक	पुरुष/ महिला	समायोजित विद्यालय का नाम	ब्लॉक	वि.वि.
1	प्रेमकुमार	रामावि नं.1 मेडता/राउप्रावि नं.2 मेडता	merta	पुरुष	राउमावि सोगावास	Merta	
2	प्रकाश चन्द	रामावि नं.1 मेडता/राउप्रावि नं.2 मेडता	merta	पुरुष	राउमावि लाम्बाजाटान	Merta	
3	सुमन सोनी	राबाउमावि कोलिया /राबाप्रावि कोलिया	didwana	महिला	राउमावि डीडवाना	Didwana	
4	गीता व्यास	राउमावि गाजु/राबाउप्रावि गाजु	mundwa	महिला	राबाउमावि कुचेरा	Mundwa	
5	रेखा यादव	राउमावि मेडता रोड/राप्रावि बाईपुरा	merta	महिला	रामावि गागूडा	Merta	
6	श्रीमती लीला	राउमावि फिडोद/राबाउप्रावि फिडोद	mundwa	महिला	रामावि बखतसागर	Nagaur	
7	ललिता चौधरी	राउमावि शीलगांव/राबाउप्रावि शीलगांव	mundwa	महिला	राउमावि गोमेलाव	Nagaur	
8	दमयन्ती भाटी	राउमावि शीलगांव/राबाउप्रावि शीलगांव	mundwa	महिला	राउमावि अमरपुरा	Nagaur	
9	जगदीशप्रसाद	राउमावि डाबरियानी/राप्रावि हल्धी नाडा	merta	पुरुष	राउमावि चांदारुण	Degana	
10	सतीश कुमार	राउमावि ढाणीपुरा/राप्रावि ढाणीपुरा	riyan	पुरुष	राउमावि ढाढोता	Parbatsar	
11	रामपाल निमेल	राउमावि शिव/राबाउप्रावि शिव	kuchaman	पुरुष	राउमावि दीपपुरा	Kuchaman	
12	मनीराम जाखड़	राउमावि शिव/राबाउप्रावि शिव	kuchaman	पुरुष	राउमावि कुकनवाली	Kuchaman	
13	मुरलीधर गौड़	राउमावि ग्वालु/राप्रावि देवलिया नाडा ग्वालु	mundwa	पुरुष	राबाउमावि मूण्डवा	Mundwa	
14	लालाराम	राउप्रावि ईनाणा/राप्रावि बणजाडा मगरा ईनाणा	mundwa	पुरुष	राउमावि कुम्हारी	Nagaur	
15	सुखराम	राउमावि खजवाना/राप्रावि टाहनाडी खजवाना	mundwa	पुरुष	राउमावि छाजोली	Jayal	
16	जगदीश प्रसाद धिटाला	रामावि जेसलान/राप्रावि मेघवाल बस्ती जेसलान	ladnu	पुरुष	राउमावि निम्बीजोधा	Ladnun	
17	श्री दीपराम मीणा	रामावि रतनपुरा/रामावि रतनपुरा	makrana	पुरुष	राबाउमावि बोरावड़	Makrana	
18	मदनलाल मीणा	राउमावि चितावा/राउप्रावि चितावा	kuchaman	पुरुष	राबामावि बूडसु	Makrana	
19	हेमेन्द्र सिंह	राउमावि खोजास/राप्रावि डिगारिया	molasar	पुरुष	राउमावि धानणवा	Makrana	
20	विक्रम सिंह	राउमावि खोजास/राबाउप्रावि खोजास	molasar	पुरुष	राबाउमावि मौलासर	Molasar	
21	पुनाराम	राउमावि ओलादन/राबाउप्रावि ओलादन	merta	पुरुष	राबामावि बड़ीखाटू	Jayal	
22	सिरमोहर मीणा	राउमावि पदमपुरा/राउप्रावि पदमपुरा	kuchaman	पुरुष	राबामावि मिण्डा	Nawa	
23	भंवरलाल	राउमावि शिव/राउप्रावि शिवपूर्वी	kuchaman	पुरुष	राउमावि नगवाड़ा	Kuchaman	


 जिला शिक्षा अधिकारी
 माध्यमिक प्रथम नागौर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम नागौर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 17(2)शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक 08.05.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 24.05.2017 एवं श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 के क्रम में निम्नांकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापको का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत अध्यापक लेवल-2 सामाजिक पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श केम्प दिनांक 04.06.2017 में उनके अनुपस्थित रहने के आधार पर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में किया जाता है।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें-

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों (यथा: विषय, लेवल आदि) के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवे।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
3. पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
सलगन:- उपरोक्तानुसार पदस्थापन सुची।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर
दिनांक: 04.06.2017

क्रमांक : जिशिअ/माप्र/ना/संस्था-1/फा.-तृ.श्रे.अ. समायोजन/2017/475

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर
3. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
4. उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर
5. जिला शिक्षा अधिकारी द्वितीय/रमसा नागौर
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, नागौर/एस.एस.ए./समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, नागौर
7. संबंधि संस्थाप्रधान/कार्मिक
8. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रथम नागौर

क्रमांक : जिशिअ/माप्र/ना/संस्था-1/फा.-तु.श्रे.अ. समायोजन/2017/475

दिनांक: 04.06.2017

सूची - लेवल-2 सा0वि0

क्र.सं.	नाम कार्मिक (श्री/सुश्री/ श्रीमती)	विद्यालय का नाम	ब्लॉक	पुरुष/ महिला	समायोजित विद्यालय का नाम	ब्लॉक	वि.वि.
1	हरीराम खिलेरी	राउमावि भेडता रोड/राप्रावि बाईपुरा	MERTA	पुरुष	राउमावि पांचलासिद्धा	KHINWSAR	


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम नागौर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 17(2)शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक 08.05.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 24.05.2017 एवं श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 के क्रम में निम्नांकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापको का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत शारीरिक शिक्षक ग्रेड -III पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श केम्प दिनांक 03.06.2017 में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में किया जाता है।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें-

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों (यथा: विषय, लेवल आदि) के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवे।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
3. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
सलग्न:- उपरोक्तानुसार पदस्थापन सूची।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर
दिनांक: 03.06.2017

क्रमांक : जिशिअ/माप्र/ना/संस्था-1/फा.-तृ.श्रे.अ. समायोजन/2017/462

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर
3. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
4. उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर
5. जिला शिक्षा अधिकारी द्वितीय/रमसा नागौर
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, नागौर/एस.एस.ए./समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, नागौर
7. संबंधि संस्थाप्रधान/कार्मिक
8. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रथम नागौर

क्रमांक : जिशिअ/माप्र/ना/संस्था-1/फा.-तृ.श्रे.अ. समायोजन/2017/462

दिनांक: 03.06.2017

सुची - शा.शि. III

क्र.सं.	नाम कार्मिक (श्री/सुश्री/ श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापित विद्यालय का नाम	ब्लॉक	पुरुष/ महिला	समायोजित विद्यालय का नाम	ब्लॉक	वि.वि.
1	सन्तोष चौधरी	राबाउमावि कुचेरा/राबाउप्रावि कुचेरा	मूण्डवा	महिला	रामावि गेलोली	मूण्डवा	
2	फतेचन्द चौहान	राउमावि नागौर/राउप्रावि सं:04 नागौर	नागौर	पुरुष	राउमावि गठिलासर	नागौर	

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर